कार्यालय:: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0–2023 / 1881 लखनऊ दिनांक 21 अगस्त,2023

यू0पी0नीट यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0)–2023 के अन्तर्गत द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र की मेरिट सूची के आधार पर होगा।

2- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में च्वॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को प्रथम चक्र की Vacant/Not-reported & Resigned सीटों के अतिरिक्त SAC(Seat against cancellation) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC में पूर्व प्रवेशित किसी अभ्यर्थी की सीट यदि अपग्रेड होती है, तो उसकी सीट नियमानुसार मेरिट कम विकल्प के आधार पर किसी और अभ्यर्थी को आवंटित हो जाएगी।

3- विकल्पों को भरने (Choice Filling) के उपरान्त उनको Lock करना अनिवार्य है। Choice Lock न करने की स्थिति में उनको सीट आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

4- नये आवंटन की दशा में पुराने प्रवेशित कालेज की सीट का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, उस पर किसी भी दशा में कोई अधिकार नहीं रहेगा।

5- अभ्यर्थी को च्वाइस फिलिंग के दौरान प्रथम चक्र से प्रवेशित सीट के विकल्प का चयन नहीं करना होगा क्योंकि यदि द्वितीय चक्र के आवंटन के समय उक्त सीट अभ्यर्थी को आवंटित हो जाती है, तो उस अभ्यर्थी को पुनः नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर आवंटित सीट पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

6- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को राजकीय मेडिकल कालेज / संस्थान / विश्वविद्यालय अथवा निजी क्षेत्र के अभ्यर्थी को सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर उपस्थित होकर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।

7- आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को राजकीय / स्वशासी / नोडल सेन्टर स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना अनिवार्य है।

8- द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन / पुनरावंटन होने के फलस्वरूप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत सभी अभ्यर्थी अपने–अपने कालेज मे रिपोर्ट करेंगे।

कृते महानिदेशक